



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 2018/चैत्र 22, 1940

No. 237]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 2018/CHAITRA 22, 1940

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

**सा. का. नि. 365(अ).**—विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की रक्षा हेतु ऊँचाई प्रतिबंध) नियम 2015 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 9क के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षा अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उसे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित करती है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जब उस राजपत्र की, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा:

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, किसी व्यक्ति से प्राप्त अपेक्षाओं और सुझावों पर इस मंत्रालय द्वारा विचार किया जाएगा:

तकनीकी औचित्य द्वारा सम्यक रूप से समर्थित आपेक्ष या सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव, भारत सरकार, बी ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली - 110003; ईमेल आईडी: soai.moca@nic.in को संबोधित किया जा सकेगा।

### प्रारूप नियम

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालन की सुरक्षा के लिए ऊँचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2018 कहा है।

(2) ये शासकीय राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नागर विमानन मंत्रालय (विमान प्रचालनों की सुरक्षा के लिए ऊँचाई प्रतिबंध) नियम, 2015, में -

(क) नियम 8 के उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(2) रेडियो बारंबारता आवंटन के बारे में स्थायी सलाहकार समिति आवेदन को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या रक्षा प्राधिकारियों को अग्रपिप्त करेगी, जैसा कि लागू है। रेडियो बारंबारता आवंटन पर स्थायी सलाहकार समिति और भारतीय

विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति प्रमाणपत्र आवेदन प्रणाली के सर्वर एकीकृत हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेडियो बारंबारता आवंटन सचिवालय पर स्थायी सलाहकार समिति को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा";

(ख) नियम 9 के उप-नियम (1) में, "अहमदाबाद तथा नागपुर हवाई अड्डे" शब्दों के स्थान पर, "अहमदाबाद, नागपुर हवाई अड्डे और किसी भी अन्य कार्यालय में, जिसे समय-समय पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है" रखा जाएगा ;

(ग) नियम 9 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात :-

"9 (ए) (1) विधिमान्यता और नवीकरण.- अनापत्ति प्रमाणपत्र की विधिमान्यता जारी होने की तारीख से आठ वर्ष होगी। मूल्यांकन के बिना एक बार नवीकरण की अनुमति चार वर्ष तक हो सकती है:

परंतु कि संनिर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और इस तरह के अनुरोध को अनापत्ति प्रमाण पत्र की विधिमान्यता की समाप्ति के छह महीने के भीतर बनाया गया है और विलंब के कारण परिस्थितियों के कारण है जो विकासकर्ता के नियंत्रण से परे हैं।

(2) अगर पुनर्विलोकन या अपील के पश्चात अनापत्ति प्रमाणपत्र को पुनरीक्षित किया जाता है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की विधिमान्यता संशोधित प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से आठ वर्ष होगी:

परंतु ऐसे मामले में जहां अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रारंभिक विधि अवधि में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, नवीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा और इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसे भवनों या संनिर्माण की ऊंचाई पुनः निर्धारित किया जाएगा।"

#### (घ) नियम 16 में:-

I. "भवन के मामलों के लिए आठ वर्ष तथा मशतूल, चिमनी तथा नियंत्रक टावर के लिए बारह वर्षों की अनुमान वैधता अवधि के दौरान", शब्दों के स्थान पर "अनापत्ति प्रमाण पत्र की विधिमान्यता अवधि के दौरान, नवीकरण अवधि सहित", शब्द रखे जाएंगे।

II. परंतुक का लोप किया जाएगा।

(ड) नियम 16 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"17. सटीकता की अपेक्षा- साइट उच्चता के लिए सटीकता की अपेक्षा 05 मीटर एएमएसएल होगी। विश्व भू-गणितीय प्रणाली-84 के लिए सटीकता डीडी एमएम एसएस एसटी के प्रारूप में सेकंड का 1/10 वां भाग है और स्थिति सटीकता 3 मीटर के भीतर होनी चाहिए। साइट ऊंचाई और संरचनाओं / भवनों की ऊपरी ऊंचाई के लिए 0.5 मीटर एएमएसएल सटीकता अपेक्षित होगी।"

(च) अनुसूची I में:-

I. खंड 1.2 में, "हार्डटेंशन", शब्द के बाद, "भारतीय विद्युत नियम, 1956 में यथा परिभाषित" अंतःस्थापित किया जाएगा;

II. खंड 3.1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"अत्यधिक उच्च आवृत्ति ओमनी रेंज (वीओआर) / कोलोकैटेड दूरी माप उपकरण (डीएमई) और बहुत उच्च आवृत्ति दिशा खोजकर्ता (वीएचएफ डीएफ): डीओवीआर / डीएमई के लिए डीओवीआर काउंटर संतुलन के केंद्र से 300 मीटर त्रिज्या के भीतर भूमि क्षेत्र और वीएचएफ के लिए ऐन्टेना डी.एफ".

III. खंड 3.2.4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"पैरा 3.2.4: परिशिष्ट 'के', अनुसूची 8 में किए गए चित्रण के अनुसार एलएलजैड एंटीना के पृष्ठ भाग के क्षेत्र का विस्तार 20 मीटर तथा दूसरी तरफ संरचना से जुड़ी एक लाइन के मध्य से 60 मीटर होना चाहिए तथा यह एलएलजैड एंटीना की संरचना की एक लाइन के साथ असमांतर भुज में घिरा होना चाहिए तथा दूसरे एंटीना के पृष्ठ भाग की समानांतर लाइन में विस्तारित रनवे की मध्य रेखा से एक तरफ 20 एवं दूसरी तरफ 45 मीटर होना चाहिए।"

IV. खंड 3.8 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

- पैरा 3.8: माइक्रोवेव लिंक / अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यूएचएफ) लिंक: क्षैतिज समतल में दृष्टि की सीधी रेखा के दोनों तरफ 30 मीटर के आयाम और दृष्टि की सीधी रेखा से 10 मीटर नीचे स्थित दो लिंक साइटों के बीच गलियारे के भीतर ऊर्ध्वाधर समतल में।"
- V. खंड 3.9 का लोप किया जाएगा;
- VI. खंड 3.10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-  
"पैरा 3.10: एनडीबी / लोकेटर / एन-रूट प्रकाश स्तम्भ : एन्टीना के मध्य से 60 मीटर के घेरे में भू क्षेत्र"
- VII. खंड 3.11 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-  
"पैरा 3.11: उच्च आवृत्ति (एचएफ) रिमोट रिसेवर: रिमोट रिसेवर स्टेशन में स्थापित सभी एचएफ रिसेवर एंटीना के न्यूनतम 1525 मीटर की दूरी तक भूमि क्षेत्र।";
- VIII. खंड 3.12 में, शब्दों, "आटोमेटिक डिपेंडेंस सर्विलांस - ब्रॉडकास्ट (डीएमई / एडीएस-बी)" का लोप किया जाएगा।
- IX. खंड 3.14 में  
(क) "होगी" शब्द के स्थान पर, "है" शब्द रखा जाएगा, और  
(ख) "राडार एन्टेना", शब्दों के स्थान, "संदर्भ ट्रांसमीटर एंटीना" शब्द रखे जाएंगे;
- X. खंड 3.15 में  
(क) "होगी" शब्द के स्थान पर, "है" शब्द रखा जाएगा, और  
(ख) "रडार एन्टेना", शब्दों के स्थान पर, "एमएलएटी सेंसर एंटीना" शब्द रखे जाएंगे;
- XI. खंड 3.16 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-  
"3.16: ग्राउंड आधारित आवर्धन प्रणाली रैफ्रेंस रिसेवर / जीबीएस वीबीडी निगरानी स्टेशन / इंडियन लैंड अपलिक स्टेशन (आईएनएलयूएस): एंटीना से 400 मीटर के दायरे में स्थित भू क्षेत्र।"
- XII. खंड 3.17 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-  
"पैरा 3.17: ग्राउंड आधारित आवर्धन प्रणाली वीएचएफ डेटा ब्रॉडकास्ट (जीबीएस वीबीडी) स्टेशन: इस स्थल के 300 मीटर अर्धव्यास के भीतर भूमि क्षेत्र।"
- XIII. खंड 3.18 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-  
"पैरा 3.18: भारतीय राष्ट्रीय रेफरेंस स्टेशन (आईएनआरईएस): एंटीना के 100 मीटर अर्धव्यास के भीतर भूमि क्षेत्र।"
- XIV. खंड 3.20 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-  
"पैरा 3.21: आरसीएजी/आटोमेटिक डिपेंडेंट निगरानी - ब्रॉडकास्ट (एडीएस-बी) :- एंटीना से 300 मीटर की दूरी तक एंटीना बेस के 3 मीटर नीचे जमीन तक किसी अवसंरचना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।"
- XV. सारणी 1.1 में शब्द 'एरोड्रोम', जहां पर आता है, के स्थान पर 'एरोप्लेन' शब्द रखा जाएगा;
- XVI. मद संख्या 4 x) (क) में, संख्या '200' के स्थान पर संख्या '175' रखी जाएगी;
- XVII. मद संख्या 4 x) (ख) में, संख्या '200' के स्थान पर संख्या '175' रखी जाएगी;
- XVIII. मद संख्या 4 xiii) (ग) में,  
(क) शब्दों "लोकेटर" शब्द का लोप किया जाएगा, और  
(ख) संख्या '1853' के स्थान पर संख्या '1852' रखी जाएगी;

(छ) अनुसूची 2 में

(i) 'उद्देश्य' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :-

"उद्देश्य" -

संरचना के लिए ऊंचाई या स्वीकार्य ऊंचाई, जिसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अपेक्षा है, की गणना अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) उपाबंध 14 अध्याय 4 बाधा प्रतिबंध और हटानस, अनुलग्नक 10 वॉल्यूम I रेडियो नेविगेशन ऐड्स और आईसीएओ पीएनएस-ओपीएस डॉक्यूमेंट 8168, खंड II (विजुअल एंड इंस्ट्रुमेंट फ्लाइट प्रोसिजर्स का निर्माण), आईसीएओ डॉक्यूमेंट 9905 अपेक्षित नेविगेशन प्रदर्शन प्राधिकरण अपेक्षित (आरएनपी एआर) पुस्तिका, डिज़ाइन, मान्यकरण, अनुमोदन और उपकरण उड़ान प्रक्रियाओं के प्रवर्तन पर डीजीसीए के दिशानिर्देश और किसी भी अन्य संबंधित आईसीएओ दस्तावेज़, जो प्रकाशित अथवा प्रस्तावित दस्तावेज़ दृष्टिकोण प्रक्रियाओं के विभिन्न खंडों की न्यूनतम ऊंचाइयों के लिए प्रचालन आवश्यकताओं को परिभाषित करता हो, के आधार पर की जाएगी।"

(ii) सारणी 2.2 में :-

(क) स्तंभ 2 में, शब्द 'एरोड्रम' के स्थान पर शब्द 'हवाई जहाज़' रखा जाएगा।

(ख) सारणी की कोशिकाओं में संलग्न शर्तों, जो "\*" और "\*" द्वारा निर्दिष्ट हैं, सारणी में उनके विवरण के साथ, जहां भी वे दिखाई देते हैं, का लोप किया जाएगा।

(ग) एक स्तंभ, अर्थात् "ऊर्ध्वाकार खण्ड (मीटर)", स्तंभ के पश्चात् "प्रेसिजन एप्रीच रनवे - सेकंड सेक्शन लम्बाई (मीटर) और ढलान" निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा:

कोड संख्या	1	2	3	4
क्षैतिज सेक्शन (मीटर)	-	-	8400	8400

(iii) सारणी 2.3 और सारणी 2.4 में, "एयरोड्रम", शब्द के लिए, जहां कहीं भी दिखाई देता है, "एरोप्लेन", शब्द रखे जाएंगे;

(iv) सारणी 2.4 में शीर्षक "गैर-उपकरण रनवे" और उप-शीर्षक, "रेडियस (मीटर)" के अंतर्गत कोड स. 2 और के समक्ष, संख्या "2000" के स्थान पर संख्या "2500" को रखा जाएगा।

(v) खंड 1.4.1.2 में, "दो अंतिम छोर पर" शब्दों से पहले "रनवे के" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे;

(vi) खंड 1.5.1 में, "ऊर्ध्वाकार स्तर के लम्ब के रूप में" शब्दों के पश्चात्, "तथा 300 मीटर की ऊंचाई तक" शब्द रखे जाएंगे;

(vii) खंड 1.6.6 लोप किया जाएगा,

(viii) खंड 1.7.1.3 के पश्चात्, खंड निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाएगा :

"1.7 बाहरी संक्रमणकालीन सतह

1.7.1 सतहों में अचानक ऊर्ध्वाधर परिवर्तन से बचने के लिए, शंक्राकार सतहों से परे सतहों की तथा 150 मीटर से 300 मीटर की स्वीकार्य ऊंचाइयों के बीच पहुंच के किनारों से 1: 7 पर तिरछी ढलान होगी।

(उदाहरण के लिए अनुसूची 8 का परिशिष्ट-बी देखें)।";

(x) खंड 2 में, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,

"सीएनएस उपस्करों के सर्विस वोल्यूम की सीमा सीएनएस सुविधा से 20 किमी की अधिकतम दूरी तक होगी, आईएलएस लोकलाइजर के मामले को छोड़कर जहां यह सीमा 35 किमी तक विस्तारित है।"

(xi) खंड 2.5.1.1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“2.5.1.1: विशिष्ट राडार स्थल से 500 मीटर से आगे अनुमत्य ढांचों की उंचाई को 0.05 मी० प्रति मी० की दर से उस बिन्दु तक बढ़ाया जा सकता है जहां कि अनुमत ढांचे की उंचाई अधिकतम दूरी पर (राडार स्थल से) न्यूनतम सेक्टर उंचाई के 10% बिन्दु, या उसी सेक्टर में भिन्न दूरी पर किसी अन्य नामित एमएसए, जो भी क्षितिज से निकट हो, से एंटीना स्तम्भ के मध्य निर्धारित रेखा से उपर नहीं निकले। उपर बताया गए बिन्दु से आगे अधिकतम दूरी पर (राडार स्थल से) न्यूनतम सेक्टर उंचाई के 10% बिंदु से, या उसी सेक्टर में भिन्न दूरी पर किसी अन्य नामित एमएसए, जो भी क्षितिज से एंटीना स्तम्भ के केंद्र से निकट हो, आगे किसी भी वस्तु को निकलने की अनुमति नहीं होगी। (उदाहरण के लिए अनुसूची 8 के संलग्नक-ग का संदर्भ लें)।

(xii) खंड 2.5.1.1 में, ‘टिप्पणी’ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:

“टिप्पण 1: विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न एमएसए के साथ सेवित हवाईअड्डे के मामले में, नीचे के एमएसए के निकटवर्ती क्षेत्र में 5 एनएम का बफर लागू होगा।

टिप्पण 2: वायरलेस/मोबाइल संचार एन्टेना मस्तूल, झंडे/बिजली के खंभे, जो राडार एन्टेना से 2 किमी से अधिक दूर हैं, उन्हें एएसआर से पृथक माना जाएगा।

टिप्पण 3: टीवी टावर तथा अन्य ऊंची टावर/चिमनियां आदि, की जांच उपर्युक्त पैरा 2.5.1 के अनुसार जारी रहेगी।”

(xiii) खंड 2.5.2.2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:

“2.5.2.2: बहु राडार प्रणाली के प्रचालनिक तथा एकीकृत किए जाने के पश्चात एकीकृत प्रणाली में अनुमत अधिकतम उंचाई पर आवेदक के लिए उंचाई की गणना हेतु विचार किया जाएगा। तथापि, राडार निष्पादन आवश्यकता की दृष्टि से, संरचनाओं की जाँच-पड़ताल की जानी होती है, तत्पश्चात यह सुनिश्चित किया जाता है कि राडार के कार्य निष्पादन में कोई कमी न हो।

क. पैरा 2.5.1 के अनुसार किसी भी एएसआर के एक कि.मी. के भीतर प्रणाली, संरचनाओं की जाँच संबंधित रडार (एएसआर/एमएसएसआर) से की जाएगी।

ख. पैरा 2.5.1 के अनुसार सभी रडार (एएसआर/एमएसएसआर) से एक से अधिक किन्तु किसी भी रडार (एएसआर/एमएसएसआर) से एक और दो कि.मी. के बीच धातुई संरचनाओं की जाँच संबंधित रडार (एएसआर/एमएसएसआर) से की जाएगी।

ग. सभी रडारों (एएसआर/एमएसएसआर) से एक कि.मी. के आगे, किंतु किसी भी रडार (एएसआर/एमएसएसआर) से एक से दो किमी के बीच धातुई संरचनाओं की जांच पैरा 2.5.1 के अनुसार संबंधित रडार (एएसआर/एमएसएसआर) से की जाएगी।

घ. सभी रडारों (एएसआर/एमएसएसआर) से दो कि.मी. से आगे की वस्तुओं के संबंध में, एकीकृत तथा प्रचालनिक एएसआर स्थलों के बीच उच्चतम अनुमत उंचाई को पैरा 2.5.1 के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

टिप्पण-1: पूर्वबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) संरचना को भी धातुई संरचना माना जाएगा।

टिप्पण-2 : उपर्युक्त मानदण्ड विन्डफार्म्स, तथा ईएचटी/एचटी लाइनों के लिए लागू नहीं होगा।”

(xiv) खंड 2.6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:

“पैरा 2.6: विशेष राडार से 200 मीटर से बाहर अनुमत ढांचा की उंचाई उस बिन्दु तक हर मीटर से 0.05 मीटर की दर से बढ़ाई जा सकती है, जिस बिन्दु में एंटीना पेडस्टल के मध्य बिंदु के नीचे 5 मीटर से, 0.5 डिग्री से अधिक की उंचाई का एक कोण अनुज्ञेय ढांचे की उंचाई से बाहर निकला हुआ ना हो या पिछली उडान निरीक्षण के दौरान एंटीना के झुके हुए कोण के बराबर के कोण हो, इसमें से जो भी उंचा कोण हो। उपर निर्दिष्ट बिन्दु से अधिक एंटीना पेडस्थल से 0.5 डिग्री के एक कोण पर खींची गई लाइन के उपर या पिछले उडान निरीक्षण के दौरान एंटीना के झुके हुए कोण के बराबर, इसमें से जो भी उंचा हो, से बाहर निकलती हुई कोई विशाल वस्तु की अनुमति नहीं दी जाएगी। (चित्र के लिए अनुसूची 8 का परिशिष्ट-घ देखें)

(xv) खंड 2.6.1 को, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

“पैरा 2.6.1: मोनोप्लस सेकेण्डरी सर्विलेंस राडार/सेकेण्डरी सर्विलेंस रडार (एमएसएसआर/ एसएसआर)

क. कोलोकेटिड एमएसएसआर/एसएसआर हेतु: हवाई निगरानी रडार/हवाई मार्ग निगरानी रडार जिसके साथ उसे कोलेटिड किया गया है, के समान।

ख. स्टैंडएलोन एमएसएसआर/एसएसआर के लिए: प्रचालनिक प्रयोग के अनुसार (एप्रोच/मार्गस्थ)"

(xvi) खंड 2.7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:

"2.7 – रिमोट कंट्रोल एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन (आरसीएजी)/स्वचालित डिपेंडेंस सर्विलेस – ब्रॉडकास्ट (एडीएस-बी)

आरसीएजी/एडीएस-बी एंटीना से 2 किमी के रेडियस तक 1.0 डिग्री से अधिक के वर्टिकल एंगल पर कोई संरचना (अनुबंध-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार 300 मीटर के रेडियस क्षेत्र के दूर स्थित) नहीं होनी चाहिए।"

(xvii) खंड 2.8.2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:

"2.8.2-200 मीटर के दूरी से परे ए-एसएमजीसीएसएस रेफरेंस ट्रांसमिटर और संबद्ध एमएलएटीएस के बीच कॉरीडोर में किसी प्रकार की संरचना की अनुज्ञा नहीं है, जिसका आयम होरिजेंटल प्लेन में दृष्टि की प्रत्यक्ष रेखा में किसी भी ओर 5 मीटर तक तथा वर्टिकल प्लेन में दृष्टि की सीधी रेखा के नीचे 5 मीटर तक हो।"

(xviii) खंड 2.9 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:

"पैरा 2.9 - भूतल आधारित अगमेंटेशन प्रणाली (जीबीएस) रिफरेंस रिसीवर/जीबीएस वीडिबी मॉनिटरिंग स्टेशन/इंडियन लैंड अपलिक स्टेशन (आई एन एल यू एस/ इंडियन नेशनल रेफरेंस स्टेशन (आईएनआरईएस):

उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार क्षेत्र के परे कोई भी संरचना जीबीएस संदर्भ रिसीवर/जीबीएस वीडिबी निगरानी स्टेशन/भारतीय लैंड अपलिक स्टेशन (आईएनएलएस/इंडियन नेशनल रेफरेंस स्टेशन (आईएनआरईएस) एंटीना प्रणाली से 3 किमी के रेडियस में 3.0 डिग्री से अधिक के वर्टिकल कोण में नहीं होना चाहिए।"

(xix) खंड 2.12 में:

क) शब्द 'हाई टेंशन' या 'एचटी', जहां कहीं आते हैं, के स्थान पर, 'एक्स्ट्रा हाई टेंशन/हाई टेंशन' शब्द रखे जाएंगे।

ख) 'जा सकती है' शब्दों, जहां कहीं ये आते हों, के स्थान पर, 'जाएगी' शब्द रखे जाएंगे।

ग) खंड 2.12.2.ग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

"बीओआर: ईएचटी/एचटी लाइन को प्रतिभार पर काउंटरपोइस केंद्र से 0.5 डिग्री से नीचे अनुमति प्रदान की जाएगी और यदि ये लाइने रेडियल पर हैं तो इन्हें उत्थान डिग्री तक 1 डिग्री तक अनुमति दी जा सकती है।"

घ) खंड 2.12.2.घ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात

"एसएसआर/एमएसएसआर, एआरएसआर तथा एमएसएसआर: 1 किमी तक कोई एचटी लाइन तथा 2 किमी तक कोई ईएचटी लाइन की अनुमति नहीं दी जाएगी।"

ङ) खंड 2.12.2.घ के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा:

"टिप्पण: पावर ट्रांसमिशन लाइन को सीएनएस सुविधा/सुविधाओं से देखे जाने पर  $\pm 01$  के भीतर आने पर उन्हें रेडियल के भीतर माना जाएगा।"

(xx) खंड 2.12 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"2.13: एनडीबी/लोकैटर: उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार 30 मीटर के रेडियस क्षेत्र के परे कोई भी संरचना एनडीबी/लोकैटर एंटीना से 1 किमी के रेडियस तक 5.0 डिग्री के वर्टिकल कोण पर स्थापित नहीं होगी।

2.14: ग्राउंड आधारित ऑगमेंटेशन प्रणाली वीएचएफ डाटा ब्रॉडकास्ट (जीबीएस वीडिबी): उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार 300 मीटर के रेडियस क्षेत्र के परे कोई भी संरचना जीबीएस वीडिबी एंटीना से 3 किमी के रेडियस तक 0.9 डिग्री के वर्टिकल कोण पर स्थापित नहीं होगी।"

(xx) खंड 3.3 में नोट 1;-

(क) "पहुँच" शब्द, जहां कहीं आता हो, के स्थान पर, "उड़ान" शब्द रखा जाएगा।;

(ख) "एआईपी इंडिया" शब्द के स्थान पर "एआईपी इंडिया/एआईपी सप्लीमेंट/जी सीरिज नोटम आदि" शब्द रखे जाएंगे।

(xxii) खंड 4.3 में

(क) "जा सकता है" शब्द के स्थान पर, "जायेगा" शब्द रखा जाएगा;


(ख) "ऐसे ढांचे स्थायी प्रकार के वर्तमान प्राधिकृत उच्चतम ढांचे/भू-भाग" शब्दों के स्थान पर "ऐसे (परिरक्षित) ढांचे किसी भी प्रकार के प्राकृतिक ढांचे/भूभाग" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "स्थायी प्रकार के वर्तमान प्राधिकृत ढांचे/भू-भाग की शिखर व दोनों छोरों से सुविधा तक खींची गई रेखा के नीचे व उस बाधा के पीछे से बहिर्निवेश कर रही हो" शब्दों के स्थान पर "सुविधा से देखने पर प्राकृतिक भूभाग के पीछे और सम्बंधित सुविधा से भू-भाग के उच्चतम शिखर को वाघविस्तरित रेखा के नीचे तथा प्रस्तावित ढांचे के छोर के संरेखण में हो" शब्द रखे जायेंगे;


(xxiii) खंड 7 (झ) में, "मस्तूल" शब्द के स्थान पर, "भार" शब्द रखा जाएगा तथा खंड 7 (ट) में, "मास्ट" शब्द के स्थान पर, "भार" शब्द रखा जाएगा।

(ज) अनुसूची 8 में:

(i) परिशिष्ट ग और परिशिष्ट घ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-



**Fig 1 Criteria for height restriction with respect to ASR**

**अनुसूची VIII****Fig 2 Criteria for height restriction with respect to ARSR**

[फा.सं. ए.की. 24011/28/2017-ए.ए.आई.-वा.नि.म.]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 30.09.2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 751 (अ) में प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार इन्हें भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित तारीख 14 जून, 2016 के सा.का.नि 610 (अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

**MINISTRY OF CIVIL AVIATION****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th April, 2018

**G.S.R.365(E).**— The following draft of certain rules to further amend the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015, which the Central government hereby proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (o) of sub-section (2) of section 5 read with section 9A of the Aircraft Act, 1934, is hereby published as required by section 14 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Any objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified below, shall be considered by this Ministry.

Objections or suggestions, if any, duly supported with technical justification, may be addressed to the Under Secretary to the Government of India, 'B' Block, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi – 110003; Email Id: [soai.moca@nic.in](mailto:soai.moca@nic.in)

**Draft Rules**

- 1 (1) These rules shall be called the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.



2. In the Ministry of Civil Aviation (Height Restrictions for Safeguarding of Aircraft Operations) Rules, 2015,-

(A) for sub-rule (2) of rule 8, the following shall be substituted, namely:-

“(2) The Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocation shall forward the application to the Airports Authority of India or the Defence Authorities, as applicable. The servers of the Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocation and the No Objection Certificate Application System of the Airports Authority of India, are integrated. The Airports Authority of India shall issue the No Objection Certificate online to the Standing Advisory Committee on Radio Frequency Allocation Secretariat”;

(B) in sub-rule (1) of rule 9, for the words, “Ahmedabad and Nagpur airports”, the words, “Ahmedabad, Nagpur airports and at any other office that may be notified by the Airports Authority of India from time to time” shall be substituted;

(C) after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:-

“9(A) (1) **Validity and Renewal.**- The validity of the No Objection Certificate shall be **eight years** from the date of issue. One-time **renewal** without assessment may be allowed upto **four years**.

Provided that the construction work has commenced and such request is made within six months of expiry of validity of the No Objection Certificate and the delay is due to circumstances which are beyond the control of the developer.

(2) In case the No Objection Certificate is revised after review or appeal, the validity of the No Objection Certificate shall be eight years from the date of issue of revised No Objection Certificate.

Provided that in cases where the construction work has not started during the initial validity period of No Objection Certificate, renewal shall not be considered and the height of such buildings or structures shall be reassessed in accordance with the provisions of these rules.”;

**(D) in rule 16.-**

(i) **for the words, “during their assessment validity period of eight years for the buildings and twelve ears for the structures such as masts, chimney and towers etc.”, the words, “during the validity period of the No Objection Certificate, including renewal period”, shall be substituted.**

(ii) **the provisio shall be omitted.**

**(E) after rule 16, the following rule shall be inserted, namely:-**

**“17. Accuracy requirement.-** The accuracy requirement for site elevation shall be 05m AMSL. The accuracy requirement for World Geodetic System-84 Coordinates is 1/10<sup>th</sup> of a second in the format of DD MM SS.s and position accuracy should be within 3 meters. The accuracy requirement for site elevation and top elevation of structures/ buildings shall be 0.5 meters AMSL.”

**(F) in SCHEDULE – I:-**

(i) in clause 1.2, after the words, “High Tension lines”, the words, “as defined in the Indian Electricity Rules, 1956”, shall be inserted.;

(ii) for clause 3.1, the following shall be substituted, namely:-

**“Very High Frequency Omni Range (VOR)/collocated Distance Measuring Equipment (DME) and Very High Frequency Direction Finder (VHF DF):** A land area within 300 m radius from the centre of DVOR counter poise for DVOR/DME and Antenna for VHF DF.”

(iii) for clause 3.2.4, the following shall be substituted, namely:-

“3.2.4: The area spreads behind the LLZ antenna by 20 meter and bounded by trapezium made by one line along the LLZ antenna array and 60 meters’ on either side from the center of the array and another parallel line behind the antenna by 20 meters and 45 meters on either side from the extended runway centerline as depicted in Appendix K, Schedule VIII.”

(iv) for clause 3.8, the following shall be substituted, namely:-

“**Para 3.8: Microwave Link/ Ultra High Frequency (UHF) Link:** Within the corridor between the two link sites having dimensions of 30 meters on either side of the direct line of sight in horizontal plane and 10 meters below from the direct line of sight in the vertical plane.”

(v) clause 3.9 shall be omitted;

(vi) for clause 3.10, the following shall be substituted, namely:-

“**Para 3.10: NDB/Locator/En-route Beacons:** A land area within a radius of 60 meters from centre of antenna.”;

(vii) for clause 3.11, the following shall be substituted, namely:-

“**Para 3.11: High Frequency (HF) Remote Receiver:** Land area upto a distance of minimum 1525 meters of all the HF Receiver Antenna installed in Remote Receiver station.”;

(viii) in the clause 3.12, the words, “**Automatic Dependence Surveillance – Broadcast (DME/ADS-B)** shall be omitted.;

(ix) in the clause 3.14

(a) for the word, “will”, the word, “shall” shall be substituted, and

(b) for the words, “Radar antenna”, the words, “reference transmitter antenna” shall be substituted.;

(x) in clause 3.15,

(a) for the word, “will”, the word, “shall” shall be substituted, and

(b) for the words, “Radar antenna”, the words, “MLAT sensor antenna” shall be substituted.

(xi) for clause 3.16, the following shall be substituted; namely:-

“**3.16: Ground Based Augmentation System Reference Receiver/GBAS VDB Monitoring Station/ Indian Land Uplink Station (INLUS):** A land area within the radius of 400 meters of the antenna.”;

(xii) for clause 3.17, the following shall be substituted, namely:-

“**Para 3.17: Ground Based Augmentation System VHF Data Broadcast (GBAS VDB) station:** A land area within the radius of 300 meters of the site.”;

(xiii) for clause 3.18, the following shall be substituted, namely:-

“**Para 3.18: Indian National Reference Station (INRES):** A land area within the radius 100 meters of the antenna.”;

(xiv) after clause 3.20, the following clause shall be inserted, namely:-

“**Para 3.21: RCAG/Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B):-** No structure shall be permitted on land above the level of 3 meters below the antenna base up to distance of 300 meters from the antenna.”;

(xv) in Table 1.1, for the word, “Aerodrome”, wherever it appears, the word, “Aeroplane” shall be substituted;

(xvi) in item number 4. ix), for the word, “lower”, the word “higher” shall be substituted;

(xvii) in item number 4. x) (a), for the number, “200”, the number, “175”, shall be substituted;

(xviii) in item number 4. x) (b), for the number, “200”, the number, “175”, shall be substituted.

(xix) in item number 4. xiii) (c),

(a) the words, “or Outer Locator” shall be omitted, and

(b) for the number, “1853”, the number, “1852” shall be substituted;

(G) in SCHEDULE II:-

(i) for the 'Purpose', the following shall be substituted:-

**“Purpose.-**

The height or permissible elevation for the structure, requiring grant of NOC, shall be calculated based upon the International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14 Chapter 4 Obstacle Restriction and Removal, Annex 10 volume I Radio Navigation Aids and ICAO PANS-OPS Doc 8168, Vol.II (Construction of Visual and Instrument Flight Procedures), ICAO Doc 9905 Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR) Manual, DGCA Guidelines on Design, Validation, Approval and Promulgation of Instrument Flight Procedures and any other related ICAO document defining the operational requirements for minimum altitudes of various segments of published or proposed instrument approach procedures.”;

(ii) in table 2.2:-

- (a) in column 2, for the word, “Aerodrome”, the word, “Aeroplane” shall be substituted.
- (b) conditions attached in the cells of the table, denoted by “\*” & “\*\*”, wherever they appear, along with their explanation under the table, shall be omitted.
- (c) a column, viz., “Horizontal Section (Meter)”, shall be inserted after the column, “Precision Approach Runway - Second Section Length (Meter) & slope”, as under:

Code No.	1	2	3	4
Horizontal Section (Meter)	-	-	8400	8400

- (iii) in table 2.3 and table 2.4, for the word, “Aerodrome”, wherever it appears, the word, “Aeroplane”, shall be substituted.;
- (iv) in table 2.4, against code number 2, under the heading, ‘Non-Instrument Runway’, and sub-heading, ‘Radius (Meter)’, for the number, “2000”, the number, “2500” shall be substituted.
- (v) in clause 1.4.1.2, after the words, “at the two ends”, the words, “of the runway”, shall be inserted;
- (vi) in clause 1.5.1, after the words, “a vertical plane perpendicular to the Inner Horizontal Surface”, the words, “and shall continue upto a height of 300 meters.”, shall be inserted;
- (vii) the clause 1.6.6 shall be omitted;
- (viii) in clause 1.7.1, for the words, “category I, II and III”, the words, “category II and III” shall be substituted.
- (ix) after clause, 1.7.1.3, the clause shall be inserted as follows:

**“1.7 Outer Transitional Surface**

**1.7.1** In order to avoid abrupt vertical changes in surfaces, the surfaces beyond the conical surfaces will slope laterally at 1:7 from edges of the approach and take off surfaces between the permissible heights of 150m to 300m.

(For illustration refer to Appendix -B of Schedule VIII).”;

(x) in clause 2, the following shall be inserted, namely:-

“The limit of service volume of CNS equipment extend up to a maximum distance of 20 km from the CNS facility, except in case of ILS Localizer, wherein it extends upto 35 Km.”;

(xi) for clause 2.5.1.1, the following shall be substituted, namely:-

“2.5.1.1: Beyond 500 meters from particular Radar site, the height of the permissible structures shall be increased at the rate of 0.05 meter per meter from 3 meter below the centre of antenna pedestal upto a point

wherein the line drawn from a point 10% below the minimum sector altitude at the farthest point (from Radar site) or any other designated MSA at different distance in same sector whichever is closer to horizon, to the center of antenna pedestal intersects. Beyond the above stated point no object shall be permitted to protrude above the line drawn from a point 10% below the minimum sector altitude at the farthest point (from Radar site) or any other designated MSA at different distance in same sector whichever is closer to horizon to the center of antenna pedestal. (For illustration refer to Appendix -C of Schedule VIII).;

(xii) in clause 2.5.1.1, for the 'Note', following shall be substituted, namely:-

**“Note 1:** In case of Airport served with different MSA in different sectors, buffer of 5 NM shall be applicable around sector of lower MSA.

**Note 2:** Wireless/Mobile communication antenna masts, flag/light poles which are beyond 2 KM from the Radar Antenna shall be considered clear from the ASR.

**Note 3:** TV towers and other high towers/chimneys etc. shall be continued to be examined as per para 2.5.1 above.”;

(xiii) for clause 2.5.2.2, the following shall be substituted, namely:-

“2.5.2.2: After multi radar system is operationalized and integrated, the maximum height permissible in the integrated system shall be considered for grant of height to the applicant. However, from the Radar performance requirement point of view, the structures are to be examined, as follows, to ensure that there is no degradation of Radar performance.

- a) Within one kilometer from any of the Radar (ASR/MSSR), structures shall be examined from the respective radar (ASR/MSSR) as per para 2.5.1.
- b) The metallic structures beyond one kilometer from all the Radars (ASR/MSSR), but between one to two Kilometer from any of the Radars (ASR/MSSR), shall be examined from respective Radar (ASR/MSSR) as per Para 2.5.1.
- c) The non-metallic structures beyond one kilometer from all the Radars (ASR/MSSR), but between one to two Kilometer from any of the Radars (ASR/MSSR), shall be permitted highest permissible height, as per IV below.
- d) Objects beyond two kilometer from all the Radars (ASR/MSSR), highest permissible height among integrated & operational ASR sites shall be permitted as per para 2.5.1.

**Note-I:** Reinforced Cement Concrete (RCC) structures shall also be treated as Metallic structures.

**Note-II:** Above criterion will not be applicable for wind farms and EHT/HT lines.”;

(xiv) for clause 2.6, the following shall be substituted, namely:-

“2.6: Beyond 200 meters from particular Radar site, the height of the permissible structures shall be increased at the rate of 0.05 meter per meter, from 5 meter below the center of Antenna Pedestal up to a point wherein the line drawn from Antenna pedestal at an elevation angle of 0.5 degree or the Antenna tilt angle whichever is higher, intersects. Beyond the above stated point no object shall be permitted to protrude above the line drawn at an angle of 0.5 degree from antenna pedestal or an angle equal to antenna tilt angle whichever is higher.

(For illustration refer to Appendix -D of Schedule VIII).”;

(xv) for clause 2.6.1, the following shall be substituted, namely:-

**“2.6.1: Monopulse Secondary Surveillance Radar/ Secondary Surveillance Radar (MSSR/SSR)**

- a) For collocated MSSR/SSR: Same as Air Surveillance Radar/Air Route Surveillance Radar with which it is collocated.
- b) For stand-alone MSSR/SSR: As per operational use (Approach/ Enroute).”;

(xvi) for clause 2.7, the following shall be substituted, namely:-

**“2.7.-Remote Control Air to Ground Communication (RCAG)/Automatic Dependence Surveillance – Broadcast (ADS-B)**

No structure (located beyond the area of 300 Meter radius as specified in Annexure-I) shall subtend a vertical angle greater than 1.0 degree up to a radius of 2 Kilometer from RCAG/ADS-B antenna.”;

(xvii) for clause 2.8.2, the following shall be substituted, namely:-

“2.8.2.-Beyond the distance of 200 M from A-SMGCS Ref TX, no structure shall be permitted in the corridors between the Reference Transmitter and associated MLATS, the dimension of each corridor being 5 meters on either side of the direct line of sight in Horizontal plane and 5 meters below from the direct line of sight in vertical plane.”;

(xviii) for clause 2.9, the following shall be substituted, namely:-

**“2.9.- “Ground Based Augmentation System (GBAS) Reference receiver/ GBAS VDB Monitoring Station/ Indian Land Uplink Station (INLUS)/ Indian National Reference Station (INRES):**

No structure located beyond the area as specified in Annexure-I, shall subtend a vertical angle greater than 3.0 degree up to a radius of 3 Kilometer from GBAS Reference receiver/GBAS VDB Monitoring Station/ Indian Land Uplink Station (INLUS)/ Indian National reference Station (INRES) Antenna System.”;

(xix) in clause 2.12:-

- a) for the word, “High Tension”, wherever it appears, the words, “Extra High Tension/High Tension” shall be substituted.
- b) for the word, “HT”, wherever it appears, the words, “Extra High Tension/High Tension” shall be substituted.
- c) for the words, “will” and “may”, wherever they appear, the words, “shall” be substituted.
- d) for the clause 2.12.2. c, the following shall be substituted:

“VOR: EHT/HT lines shall be permitted only upto an angle of elevation of 0.5 degrees from the centre of counterpoise and if these lines are on the radial, they shall be permitted upto an angle of elevation of 1 degree from the centre of counterpoise.”

- e) for the clause 2.12.2.d, the following shall be substituted:

“ASR/ MSSR, ARSR and MSSR: no HT lines shall be permitted upto 1 km no EHT lines shall be permitted upto 2 km.”

- f) after clause 2.12.2.d, the following note shall be inserted:

“**Note:** The Power Transmission line masts, shall be treated in a radial if they fall within  $\pm 01$  degree when seen from the CNS facility/facilities.”;

(xx) after clause 2.12, the following clauses, shall be inserted, namely:-

**“2.13: NDB/Locators :** No structure (located beyond the area of 30 Meter radius as specified in Annexure-I) shall subtend a vertical angle greater than 5.0 degree up to a radius of 1 km from NDB/ Locators Antenna.

**2.14: Ground Based Augmentation System VHF Data Broadcast (GBAS VDB):** No structure (located beyond the area of 300 Meter radius as specified in Annexure-I) shall subtend a vertical angle greater than 0.9 degree up to a radius of 3 Kilometers from GBAS VDB Antenna.”;

(xxi) in clause 3.3 in Note 1:-

- (a) for the word, “approach”, wherever it appears, the word, “flight” shall be substituted.;
- (b) for the word, “AIP India”, the words, “AIP India/AIP Supplement/G series NOTAM etc.”, shall be substituted.;


(xxii) in clause 4.3:

- (a) for the word, “could” the word, “shall” shall be substituted;
- (b) for the words, “the highest terrain of permanent nature”, the words, “any natural terrain”, shall be substituted.;
- (c) for the words, “falling below a line drawn from the top and both the extremities of the terrain of permanent nature, to the facility and extrapolation of the same plane behind from the said obstacle”, the words, “behind the natural terrain when seen from the facilities and falling below the extrapolated line drawn from the respective facilities to the highest point of terrain and in line with extremities of the proposed structure”, shall be substituted.;

(xxiii) in clauses 7(k) and 7(m), for the word, “mast”, wherever it appears, the word, “mass” shall be substituted.


(H) In Schedule VIII:-

- (i) for the Appendix C and Appendix ‘D’, the following shall be substituted, namely:-



**Fig 1 Criteria for height restriction with respect to ASR**

## APPENDIX - D



**Fig 2 Criteria for height restriction with respect to ARSR**

[F. No. AV-24011/28/2017-AAI-MOCA]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

**Note.-** The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R.751(E) dated 30.09.2015 and last amended by G.S.R.610 (E) dated 14<sup>th</sup> June, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i).